

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 72/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एक्सिस बैंक लिमिटेड, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि नवीन शर्मा
क्षेत्रीय कार्यालय-जी-9, ग्राउण्ड फ्लोर, ट्रिनिटी मॉल, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड़,
जयपुर (राजस्थान)

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. मोहम्मद महबूब मलकान पुत्र हाजी यासिन मलकान, निवासी ग्राम मंगलूणा, जिला सीकर (राज.)
2. मदीना बानो पत्नि महबूब खान पुत्र हाजी यासिन मलकान, निवासी ग्राम मंगलूणा, जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.



निर्णय

दिनांक:- 20 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः मोहम्मद महबूब मलकान पुत्र हाजी यासिन मलकान एवं मदीना बानो पत्नि महबूब खान की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मोहम्मद महबूब मलकान के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 615/4, ग्राम मंगलूणा, ग्राम पंचायत मंगलूणा, तहसील-लक्ष्मणगढ, जिला-सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल आवासीय संपरिवर्तित क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में खसरा नम्बर 615/3 की भूमि, पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

615/5 की भूमि, उत्तर दिशा में रास्ता खसरा नम्बर 615/2 एवं दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 615/6 की भूमि है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल रु. 15,00,000/- (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **16.11.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से उसका पुत्र उपस्थित हुआ परन्तु बकाया ऋण भुगतान सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **16.11.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **मोहम्मद महबूब मलकान पुत्र हाजी यासिन मलकान एवं मदीना बानो पत्नि महबूब खान** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **मोहम्मद महबूब मलकान** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **खसरा नं. 615/4, ग्राम मंगलूणा, ग्राम पंचायत मंगलूणा, तहसील-लक्ष्मणगढ, जिला-सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल आवासीय**




(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

संपरिवर्तित क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में खसरा नम्बर 615/3 की भूमि, पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 615/5 की भूमि, उत्तर दिशा में रास्ता खसरा नम्बर 615/2 एवं दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 615/6 की भूमि है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर